मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

	उनवान	
1. दलीप 2 रामचन्द्र 3. रणवीर 4 कालुराम पि॰ आशाराम जाति मेघवाल निवासी भांगवा	बनाम	1. आशाराम पुत्र जीराम 2. विमला 3. सन्तोष 4 सरोज पुत्रियान आशाराम जाति - मेघवाल निवासी भांगवा 5. स्टेट तहसीलदार राजस्व भादरा

दावा बाबत :– 88 R.T. Act

मुकदमा नम्बर :– 02/2021

निर्णय दिनांक :– 26/11/2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से वकील गुरनाम सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा भांगवा के खाता संख्या 6/7 के खसरा नं॰ 71/1, 172/1, 190/1, 250/1 के कुल खसरा 4 की कुल 3.578 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी आशाराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 JJM के खाता संख्या 3/3 के मु॰ नं॰ 91, 92 कुल किता 2 की कुल 5.313 है॰ मय रास्ता में प्रतिवादी आशाराम के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी सं॰ 1 दलीप, वादी सं॰ 2 रामचन्द्र, वादी सं॰ 3 रणवीर, वादी सं॰ 4 कालुराम व प्रतिवादी संख्या 1 आशाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं॰ 2 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़